

कायालय— मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (भा०शि०) गढवाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या / सेवा.अराज./ 154 / 3क(2) / नियुक्ति / 2016-17 / दिनांक 26/05/16

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली—2014 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (सशोधन) सेवा नियमावली—2014 में निहित प्राविधिक शिक्षा परिषद रूढ़की के विज्ञापन संख्या— 5600 / उप्राशिप / एल०टी०भर्ती / 2014 दिनांक 23-02-2014 (यथासंशोधित) के क्रम में निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक संख्या— सेवा—2 / 709-11 / 2016-17 दिनांक 11-04-2016 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद रूढ़की के विज्ञापन संख्या—7111 / उप्राशिप / एल०टी०भर्ती / 2016-17 दिनांक 02-05-2016 एवं विज्ञापन संख्या—7431 / उप्राशिप / एल०टी०भर्ती / 2016-17 दिनांक 04-05-2016 द्वारा प्राप्त वरीयता सूची के आधार पर निम्नांकित अध्यार्थियों को स्नातक वेतनक्रम (वेतन दैण्ड 9300-34800, ग्रेड वेतन 4600) में सहायक अध्यापक एल.टी. (कला) के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुये उनके नाम के सम्बुद्ध रूपम्—८ में अंकित विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है। यह नियुक्ति नियांत्र अरथात् है एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेगी और किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है।

विषय: कला

शाखा: सामान्य

क्र० सं.	अध्यार्थी का नाम / पिता / पति का नाम एवं पता	जन्म तिथि	गृह जनपद	जाति	उपश्रेणी	लिखित परीक्षा मुण्डांक	पदस्थापित विद्यालय
1	2	3	4	5	6	7	8
1	विमला पुत्री श्री रणजीत सिंह अजबपुर फैज -2 टाईप -3 म०सं० -८ नवीन सचिवालय कालोनी दून विठ्ठि रोड केदारपुरम देहरादून पिन कोड 248021	05-05-1988	चमोली	अनुसूचित जाति	-	94.5	रा०६०का०नारायणगढ़ नारायणगढ़ चमोली

३१

८८

५४

२५००३२६५१६

(रामकृष्ण उनियाल)

मण्डलीय अपर निदेशक (भा०शि०)

गढवाल मण्डल पौड़ी।

प०सं० / सेवा०अराज० / 5191- 5210 / 3क(2)नियुक्ति / 2016-17 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि — निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यालयी हेतु प्रेषित।

- सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद।
- अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा कुमाऊं मण्डल नीनीताल।
- सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा०)।
- सम्बन्धित विल्ट एवं लेखाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)।
- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी।
- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।

12. सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि यदि अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी का विषय संयोजन उत्तराखण्ड, अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (सशोधन) सेवा नियमावली-2014 में कला विषय हेतु विहित अर्हता (विद्यालयी शिक्षा की वेब साईट पर उष्टव्य है) के अनुरूप न हो / सम्बन्धित अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01-01-2014 को 21 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक हो तो अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी को कदापि कार्यभार ग्रहण न कराया जाय साथ ही सम्बन्धित अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी के मूल अभिलेखों / शैक्षिक तथा प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित छाया प्रतियाँ अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखें। किसी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर इसकी सूचना तत्काल अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराये तथा सम्बन्धित को कार्यभार ग्रहण करने की सूचना उसी दिन पंजीकृत डॉक से अधोहस्ताक्षरी एवं सम्बन्धित अधिकारियों को निम्न प्रारूप पर उपलब्ध करायी जाय।

<p>प्रमाण पत्र पदनाम मैं (संस्थाध्यक्ष का नाम)..... एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा सम्बन्धित अध्यापक के समस्त शैक्षिक / प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों की भलीभांति जॉच कर ली गयी है तथा समस्त दाइसित दस्तावेज प्राप्त कर लिए हैं। तदोपरान्त अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी श्री / श्रीमती / कु... पद..... विषय..... को दिनांक के पूर्वान्हि / अपरान्हि में कार्यभार ग्रहण करा दिया है।</p>	<p>विद्यालय का नाम..... पदनाम..... पदनाम एवं सील</p>
--	--

ह0 संस्थाध्यक्ष


नाम-

पदनाम एवं सील


13. सम्बन्धित अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे इस आदेश के निर्गत होने के 15 दिन के अन्तर्गत अपने तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के अन्तर्गत सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो यह नियुक्ति स्वतः निररत समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा सम्बन्धित संस्था प्रधान के सम्मुख नियुक्ति आदेश के साथ अपने समस्त शैक्षिक / अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो सैट प्रमाणित छायाप्रति), स्वयं के दो पासपोर्ट साइज के दो प्रमाणित फोटो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र अन्य आरक्षित श्रेणी होने की दशा में वाइसित प्रमाण-पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, उत्तराखण्ड के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन करने की तिथि से पूर्व का पंजीकरण / नवीनीकरण प्रमाण-पत्र, अन्तिम संस्था जहाँ से शिक्षा प्राप्त की हो द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, विवाहित होने की स्थिति में एक ही जीवित पत्नी / पति होने का प्रमाण-पत्र, संघ / राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण-पत्र एवं इस आशय की घोषणा पत्र कि “मेरे विलम्ब किसी भी न्यायालय में कोई भी अपराधिक मामला विचाराधीन नहीं है और न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है”, का प्रमाण-पत्र संस्थाध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा।

नोट- किसी भी अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी के शैक्षिक / प्रशिक्षण / जाति एवं अन्य प्रमाण-पत्रों का भौतिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति / अनियमितता पाये जाने पर उनके विलम्ब नियमानुसार ईधानिक कार्यवाही की जायेगी नवीन तैनाती के रथान पर कार्यभार ग्रहण हेतु कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा। अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी कार्यभार ग्रहण-करने के समय इस आशय का अनुबन्ध पत्र भी निम्न प्रारूप पर प्रस्तुत करना होगा। (पंजीकृत)

14. कार्यालय प्रति।


(रामकृष्ण रानयाल)

मण्डसीय अपर निदेशक (मा.शि.)


गद्याजल मण्डल पीडी।

अनुबन्ध-पत्र

<p>मैं अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी का नाम..... सहायक अध्यापक, विद्यालय का नाम..... शासन/विभाग हारा जारी रखानान्तरण नीति का पालन करुणा / करुणी एवं अपने सभी सम्बन्धियों के माध्यम से रखानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करुणा / करुणी।</p>	<p>पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री..... एतद द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त</p>
---	--

ह0

नाम-

पदनाम एवं विद्यालय का नाम

प्रतिहस्ताक्षरित

ह0 एवं सील संस्थाध्यक्ष